# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म0प्र0

निगरानी /अ–6/2016–17

I) निगरानी/छतरपुर/भू-रा/2017/2392

रणवीर सिंह तनय श्री दुर्जन सिंह ठाकुर
निवासी पहरा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 .....निगरानीकर्ता

बनाम

01. सुनियॉ बेवा मुलुवा काछी
02. नत्थू तनय श्री मुलुवा काछी
दोनो निवासीगण ग्राम पीरा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 .....उत्तरवादीगण

**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा प्रकरण कमांक 65/अपील/2015–16 आदेश दिनांक 12.04.2017 के विरूद्व**

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता हैं–

04. यह कि भूमि खसरा नं0 1953 लगायत 1978 किता 26 रकवा 4.110हे0 पुराने खसरा नं0 जो ग्राम पहरा के है तथा ग्राम पहरा का विभाजन होने के कारण नया ग्राम टुरिया में उक्त खसरा नं• शामिल होने के कारण खसरा नं0 नवीन कमांक 966 से 970 एंव 997 से 1017 किता 26 रकवा 4.111हे0 स्थित ग्राम टुरिया का निगरानीकर्ता 1/6 भाग का भूमि स्वामी है जिसमें 1/6 भाग का मालिक मुलुवा तनय श्री बिन्दा काछी था मुलुवा काछी की मृत्यु होने के उपरान्त उसके द्वारा किये गये बसीयत के आधार पर उक्त भूमि तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 86/अ–6/2002–03 में आदेश दिनांक 27.01.2004 के द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में नामांतरण किया गया है तभी से आवेदक वाद भूमि पर काबिज कास्त चला आकर लगान आदि जमा कर रहा है।

05. यह कि उक्त आदेश की अपील अपीलार्थी उत्तरवादीगण द्वारा मान्नीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.02.2016 को लगभग 12 वर्ष पश्चात् पेश की है तथा धारा 05 म्याद अधिनियम के आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध रूप से स्वीकार किया है जिसके विरूद्व यह निगरानी मान्नीय न्यायालय में पेश की जा रही है।

क्रमशः//2//

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** दो/निगरानी/ छतरपुर/भू.रा./2017/2392 रणवीर विरूद्ध सुनियॉ

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 13-02-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 65/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 12-04-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-07-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।<br>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br>"1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"<br>4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।<br>5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका | |

13/02/19

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 11-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

13/02/19

(आर.के. जैन)
सदस्य